आदेश-फलक

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 72/2012-13, म० वकील बनाम योगी सिंह वगैरह

केस का प्रकार - BLDR ACT

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
19/01/13	आदेश प्रस्तुत वाद आवेदक म० वकील के द्वारा समाहर्ता, प० चंपारण, बेतिया को समर्पित आवेदन से सृजित है। आवेदक ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि अंचल मंझौलिया के मौजा-रूलही [illegible] का खेसरा 2064, 2048, 2052 का कुल रकवा 08 कट्ठा 05 धुर भूमि आवेदक को निबंधित बयनामा दस्तावेज से प्राप्त है। यह भूमि [illegible] से वर्ष 2010 एवं 2011 की खरीदगी के आधार पर आवेदक का दखल कब्जा में है। लेकिन विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदक के आवेदन के आलोक में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष अपने निज अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए लेकिन विपक्षी ने न तो अपना कारण-पृच्छा, लिखित जवाब ही समर्पित किया न ही अपना पक्ष रखने या प्रश्नगत भूमि पर दावा प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए। जबकि विपक्षीगण को अपना पक्ष या दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त	

न्यायालय, उप समाहर्ता भूमि सुधार, बेतिया

वाद सं०- 2012-13 भू० वि० नि० अधि० [illegible]

केस का प्रकार- भू० वि० नि० अधि०

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में आवेदक की एकपक्षीय सुनवाई की गई। आवेदक के आवेदन, लिखित जवाब, प्रस्तुत कागजातों के परिशीलन करने तथा आवेदक की एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर आवेदक के दावों की पुष्टि होती है। विपक्षीगण को प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने के प्रयास को निषेधित किया जाता है। उभय पक्ष को सूचित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। ह० 19/01/13 भूमि सुधार उप समाहर्ता ज्ञापांक 203 / दिनांक 23/01/13 प्रतिलिपि: अंचल अधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश के अनुपालनार्थ प्रेषित। ह० 23/01/13 भूमि सुधार उप समाहर्ता।	

न्यायालय, भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेतिया

—/